

# खतरे में है गंगा की डॉल्फिन


पंकज सेक्सरिया

**गं**गा में पाए जाने वाले स्तनधारी जीव डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। क्या यह घोषणा इस जंतु को उन खतरों से बचा पाएगी जो इस पर मंडरा रहे हैं?

उत्तर भारत की गंगा एवं अन्य नदियों में मछली के समान दिखने वाला एक स्तनधारी जीव डॉल्फिन पाया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में सूस कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसे गेन्जेटिक डॉल्फिन कहते हैं और इसका जीवशास्त्रीय नाम प्लैटिनिस्टा गंजेटिका गंजेटिक है। यह स्तनधारियों के सेटेसिया समूह में आता है और आम तौर पर इस समूह के जंतु, जिनमें घ्लेल, पॉरपॉइंज़ और समुद्री डॉल्फिन शामिल हैं, समुद्र में ही पाए जाते हैं। अतः इस डॉल्फिन का मीठे पानी में रहना एक आश्चर्यजनक बात है। किंतु लाखों वर्षों में अपने विकास के दौरान ये जीव शायद समुद्र से मीठे पानी में आ गए और अपने नए पर्यावरण के अनुरूप ढल गए। खेद की बात यह है कि यह असाधारण प्रजाति अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है।

हाल में गठित गंगा घाटी प्राधिकरण की पहली बैठक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया जाए। वन्य जीवन संरक्षण से जुड़े लोगों ने इस निर्णय का उत्साह से स्वागत किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संगठन (आईयूसीएन) के सेटेसिया विशेषज्ञों के समूह के अध्यक्ष डॉ. ऐन्डॉल रीज़न ने इस कदम पर सुखद आश्चर्य व्यक्त करते हुए जूस प्रिन्ट नामक पत्रिका में कहा, “मीठे पानी के इस छोटे और रहस्यमय डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु के सम्मान से नवाज़ा जाना केन्द्रीय सरकार के द्वारा लिया गया एक सराहनीय निर्णय है।”

भारत में इस ज्ञानिमय ग्रस्त प्रजाति के लगभग 2000 सदस्य ही शेष रह गए हैं। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों



में पाए जाते हैं। जिस प्रकार ये डॉल्फिन इन नदियों के विशिष्ट पर्यावरण में रहने के लिए ढल चुके हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि इन जंतुओं का जीवन इन नदियों से बहुत करीब से जुड़ चुका है। पहली बात यह है कि ये जंतु लगभग अंधे होते हैं। नदियों के मटमैले पानी में रहने के कारण इनकी आंखें बहुत बारीक छिद्रों के समान होती हैं, इनमें लेंस नहीं होता और इनसे केवल अंधेरे और उजाले में अंतर जाना जा सकता है। ये डॉल्फिन मुख्य रूप से प्रतिध्वनि निर्धारण (अपनी आवाज़ की प्रतिध्वनि को पकड़ने) की सहायता से नदियों की तलहटी में अपना भोजन तलाशते हैं। इनकी एक अन्य विशेषता यह है कि ये सीधे तैरने के बजाय अपनी एक बाजू को नीचे रखते हैं और अपना एक फिलपर (शरीर के अगले भाग में स्थित पतवार के समान रचना) नदी के तल पर घसीटते हुए चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि डॉल्फिनों को उनके चलने की इस विशिष्ट विधि से नदी में पानी कम होने पर भी आगे बढ़ने में आसानी होती है। गौरतलब है कि भारतीय प्रायद्वीप की नदियां मौसमी हैं और उनमें गर्मियों में पानी कम हो जाता है।

## नदी से जुड़ा जीवन

नदियों में पानी का स्तर और बहाव का पैटर्न इन डॉल्फिनों के वितरण और प्रवास पर असर डालते हैं। अक्टूबर से अप्रैल के बीच जब नदियों में पानी कम होता है तब ये नदियों के गहरे भागों में, विशेष रूप से ऐसे भागों में

चले जाते हैं जहां पानी में भंवर बनते हैं। वर्षा ऋतु में जलस्तर बढ़ने पर ये नदियों के अन्य भागों में भी आ जाते हैं। अतः डॉल्फिनों का जीवन नदी के स्वास्थ्य पर निर्भर होता है।

हालांकि अैथंथिक शिकार व तेल के लिए या दुर्घटनावश मछुआरों के जालों में फंसना डॉल्फिनों के लिए काफी खतरनाक होता है, मगर बांधों और बराजों के निर्माण से तो इन जंतुओं के लिए उनके पूरे इलाके में गंभीर खतरा पैदा हो गया है। विश्व प्रकृति निधि, नेपाल की 2006 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार- “1928 में नेपाल में बनबासा नामक स्थान पर और 1974 में भारत में नेपाल सरहद से 160 कि.मी. दूर शारदा नगर में महाकाली नदी (जो भारत में शारदा कहलाती है) पर बराजों के निर्माण से पूरी महाकाली नदी में डॉल्फिन विलुप्त हो गए हैं।”

बांधों और बराजों के निर्माण से डॉल्फिनों की आबादी खंडों में बंट जाती है क्योंकि ये जंतु इन रुकावटों को पार नहीं कर सकते। इनके निर्माण से बराज के नीचे का क्षेत्र (डाउनस्ट्रीम क्षेत्र) बर्बाद हो जाता है। इनसे बने जलाशयों में बहुत अधिक गाद जमा हो जाती है और इनमें पाई जाने वाली मछलियों और अक्षेत्रीकी जंतुओं की मूल प्रजातियों का स्थान नई प्रजातियां ले लेती हैं। उदाहरण के लिए, फरक्का बराज के ऊपर के क्षेत्र में बड़ी वनस्पतियों के बढ़ने और बहुत अधिक गाद जमा होने से जंतुओं के प्राकृतवास नष्ट हो गए हैं और डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में पानी की कमी हो जाने के कारण 300 कि.मी. तक जंतुओं के सूखे मौसम के प्राकृतवास समाप्त हो गए हैं।

खेतों से रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों तथा अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों का नदियों में बह कर आना भी बहुत बड़ी चिंता का अन्य विषय है। डॉ. लियो येउंग के नेतृत्व में हांगकांग विश्वविद्यालय के एक अनुसंधान दल ने यह पता लगाया है कि इलाहाबाद में गंगा और यमुना के संगम पर बड़ी मात्रा में प्रदूषक पदार्थ इन नदियों में छोड़े जाते हैं। कीमोरिफियर नामक पत्रिका के मार्च 2009 के अंक में प्रकाशित इस दल के शोधपत्र में कहा गया है, “यमुना दुनिया की सबसे अधिक प्रदूषित नदियों में

से एक है, विशेष रूप से नई दिल्ली के पास जहां इस नगर के 57 प्रतिशत अपशिष्ट पदार्थ इसमें बहाए जाते हैं। नदी के किनारे 45 बड़े उद्योग हैं जिनमें कोयला आधारित ताप बिजलीघर और उर्वरक, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, कीटनाशक और इलेक्ट्रोलेटिंग उद्योग शामिल हैं।”

यमुना और अन्य नदियों जो सदियों से जीवन और पोषण की स्रोत थीं, अब मर चुकी हैं। इसके कारण इनमें रहने वाले जलीय जंतुओं तथा वनस्पतियों और इन नदियों के किनारे बसे लाखों लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव की केवल कल्पना ही की जा सकती है।

हमारी नदियों की दुर्दशा हमारे विकास की प्रक्रिया का लक्षण है जिसमें नदियों पर बांध बनाने, खेती का रासायनीकरण करने, तेज़ गति से औद्योगीकरण और शहरीकरण बढ़ाने को अन्य सब बातों से अधिक प्राथमिकता दे दी गई है। केवल ब्रह्मपुत्र घाटी में ही 168 बड़े बांध बनाने की योजना बनाई गई है। ऐसा करते समय इस बात को नज़रअंदाज़ कर दिया गया है कि इससे पूरे अपस्ट्रीम व डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों की इकॉलॉजी बदल जाएगी और डॉल्फिनों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार का विकास हमारी नदियों और उनमें पाई जाने वाली जैव विविधता के गले में फंदा बनता जा रहा है।

डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में उसके संरक्षण की योजनाएं बनाई गई हैं। असम में भी डॉल्फिनों के संरक्षण के प्रति रुचि जागृत हुई है और इस जंतु को लगभग एक वर्ष पहले राज्य का जलीय जंतु घोषित कर दिया गया था।

यदि डॉल्फिनों को वास्तव में बचाना है तो केवल अच्छे इशारों से काम नहीं चलेगा। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन संसार में शेष रह गई मीठे पानी की डॉल्फिनों की केवल तीन प्रजातियों में से एक है। चौथी प्रजाति, चीन की यांगत्झे नदी की डॉल्फिन, सन 2006 में विलुप्त हो गई। यदि गंगा डॉल्फिन की यही गत नहीं होने देना हो तो काफी प्रयास करने होंगे। अन्यथा इसे राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित करने की अधिसूचना केवल कागजी कार्रवाई बन कर रह जाएगी।  
**(स्रोत फीचर्स)**